यह निरीक्षण प्रतिवेदन कार्यालय आयुक्त, गढवाल मंडल, पौडी द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के आधार पर तैयार किया है। कार्यालयाध्यक्ष द्वारा उपलब्ध करायी गयी किसी त्रुटिपूर्ण अथवा अधूरी सूचना के लिए कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

कार्यालय आयुक्त, गढवाल मंडल, पौडी के माह 04/2015 से 03/2017 तक के लेखा अभिलेखों पर निरीक्षण प्रतिवेदन जो श्री ललित थपलियाल व श्री सूर्य पाल, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी एवं श्री शैलेन्द्र कुमार पाण्डेय, वरिष्ठ लेखापरीक्षक द्वारा दिनांक 22.04.2017 से 25.04.2017 तक श्री पी.सी.श्रीवास्तव, वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी के पर्यवेक्षण में सम्पादित किया गया।

भाग-I

1. परिचयात्मकः इस इकाई की विगत लेखापरीक्षा श्री रामसनेही व श्री एस.के. सिंह, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी एवं श्री अभिनव सिंह, लेखापरीक्षक द्वारा दिनांक 30.04.2015 से 05.05.2015 तक श्री पी.सी. श्रीवास्तव, लेखापरीक्षा अधिकारी के पर्यवेक्षण में सम्पादित की गयी थी। जिसमें माह 04/2013 से 03/2015 तक के लेखा अभिलेखों की जांच की गयी थी।
2. (i) इकाई के क्रियाकलाप एवं भौगोलिक अधिकार क्षेत्रः गढवाल मंडल, पौडी

(ii) (अ) विगत तीन वर्षों में बजट आबंटन एवं व्यय की स्थिति निम्नवत हैः

(धनराशि ₹ लाख में)

वर्ष	प्रारम्भिक अवशेष		स्थापना		गैर स्थापना		आधिक्य (+)	बचत (-)
	स्थापना	गैर स्थापना	आवंटन	व्यय	आवंटन	व्यय		
2014-15	-	-	132.30	98.93	43.06	41.02	-	-
2015-16	-	-	133.80	102.99	28.55	16.07	-	04.06
2016-17	-	04.06	156.00	117.12	40.99	41.87	-	-

(ब) **Autonomous Bodies** की इकाईयों के विगत तीन वर्षों में बजट आबंटन एवं व्यय की स्थितिः निरंक।

(स) केन्द्र पुरोनिधानित योजनाओं के अन्तर्गत प्राप्त निधि एवं व्यय विवरण निम्नवत हैः शून्य

(iii) इकाई को बजट आवंटन राज्य सरकार द्वारा किया जाता है। गैर स्थापना व्यय को सम्मिलित न करते हुए इकाई श्रेणी 'सी' की है।

विभाग का संगठनात्मक ढांचा निम्नवत हैः

मुख्य सचिव/अध्यक्ष राजस्व परिषद्
प्रमुख सचिव (राजस्व)
सचिव राजस्व/राजस्व आयुक्त
आयुक्त गढवाल मण्डल
अपर सचिव (राजस्व)
जिलाधिकारी
अपर जिलाधिकारी
उपजिलाधिकारी
तहसीलदार
नायब तहसीलदार

(iv) लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र एवं लेखापरीक्षा विधिः लेखापरीक्षा में वित्तीय लेन-देन की लेखापरीक्षा को आच्छादित किया गया। समस्त स्वाधीन आहरण एवं वितरण अधिकारियों के निरीक्षण प्रतिवेदन पृथक-पृथक जारी किये जा रहे है। यह निरीक्षण प्रतिवेदन आयुक्त, गढवाल मंडल, पौडी की लेखापरीक्षा में पाये गये निष्कर्षों पर आधारित है। माह 03/2016 एवं 03/2017 को विस्तृत जांच हेतु चयनित किया गया।

(v) लेखापरीक्षा भारत के संविधान के अनुच्छेद 149 के अधीन बनाये गये नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियां तथा सेवा की शर्ते) अधिनियम, 1971 (डी पी सी एक्ट, 1971) की धारा 13 व 16, लेखा तथा लेखापरीक्षा विनियम, 2007 तथा लेखापरीक्षण मानकों के अनुसार सम्पादित की गयी।

भाग-II 'अ'

प्रस्तरः01- ₹ 14**0.75** लाख का निरर्थक व्यय।

शासनादेश संख्या-403(1)/XVIII(1)/2012 दिनांक 19.07.2012 द्वारा ₹ 98.62 लाख की स्वीकृति आयुक्त सभागार कक्ष (कमेटी हाल) के भवन निर्माण हेतु प्रदान की गयी एवं पुनः शासनादेश संख्या-1768(1)/XVII(1)/2013-1(12)/2011 राजस्व अनुभाग-1 दिनांक 20.12.2013 द्वारा पुनरीक्षित आगणन पर ₹ 140.75 लाख की स्वीकृति प्रदान कर, राशि कार्यदायी संस्था, अधिशासी अभियंता, उ0प्र0 समाज कल्याण निर्माण निगम लि0, देहरादून को प्रदान की गयी। जांच में पाया गया कि उक्त कार्य पूर्ण कर जनवरी, 2015 को विभाग को हस्तगत कर दिया गया। सभागार कक्ष की क्षमता 80 व्यक्तियों के बैठने हेतु थी। पानी व विद्युत का कनेक्सन अलग से है। सभागार की सुरक्षा एवं रखरखाव के लिए एक होमगार्ड की तैनाती भी की गई थी।

आगे जांच में पाया गया कि पूर्व निर्मित सभागार, जो कि जनवरी, 1995 में निर्मित कराया गया था एवं अच्छे हाल में था एवं क्षमता 70 व्यक्तियों के बैठने हेतु थी। उसके होते हुए भी उक्त नवनिर्माण कराया गया, जिसमें उसके उपरान्त कोई भी बैठक होने का प्रमाण प्राप्त नहीं हुआ।

विभाग ने बताया कि वर्ष में 2-3 बैठकें होती हैं, परन्तु बैठकों का कोई कार्यवृत्त नहीं उपलब्ध कराया गया एवं कहा गया कि क्षमता बढाने हेतु नये सभागार का निर्माण कराया गया।

विभाग का उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि क्षमता तो मात्र 10 व्यक्तियों की बढ़ी और नव सभागार कक्ष निर्माण पश्चात भी बैठकों का कार्यवृत्त न होना ₹ 140.75 लाख के निरर्थक व्यय को दर्शाता है। इसके अलावा पानी व विद्युत का एवं सुरक्षा हेतु तैनात होमगार्ड पर होने वाला व्यय भी विभाग पर पड़ रहा था।

अतः रु 140.75 लाख के निरर्थक व्यय का प्रकरण शासन के संज्ञान में लाया जाता है।

भाग-II 'ब'

----------शून्य--------

भाग-III

विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों का विवरण

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	भाग-II 'अ' प्रस्तर संख्या	भाग-II 'ब' प्रस्तर संख्या
सा.क्षे./ले.प.प्रति.-09/2013-14	01	01
सा.क्षे./ले.प.प्रति.-02/2015-16	शून्य	01

विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों की अनुपालन आख्याः

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	प्रस्तर संख्या लेखापरीक्षा प्रेक्षण	अनुपालन आख्या	लेखापरीक्षा दल की टिप्पणी	अभ्युक्ति
सा.क्षे./ले.प.प्रति.-09/2013-14	भाग-2 'अ' प्रस्तर-01 एवं भाग-2 'ब' प्रस्तर-01	अनुपालन आख्या उच्चाधिकारी के अनुमोदनोपरान्त सम्प्रेक्षा को प्रेषित किया जायेगा		
सा.क्षे./ले.प.प्रति.-02/2015-16	भाग-2 'ब' प्रस्तर-01			

भाग-IV

इकाई के सर्वोत्तम कार्य

शून्य

भाग-V

आभार

1. कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून लेखापरीक्षा अवधि में अवस्थापना संबंधी सहयोग सहित मांगे गये अभिलेख एवं सूचनांए उपलब्ध कराने हेतु आयुक्त, गढवाल मंडल, पौडी तथा उनके अधिकारियों एवं कर्मचारियों का आभार व्यक्त करता है। तथापि लेखापरीक्षा में निम्नलिखित अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गयेः- शून्य
2. सतत् अनियमितताएः शून्य
3. लेखापरीक्षा अवधि में निम्नलिखित अधिकारियों द्वारा कार्यालयध्यक्ष का कार्यभार वहन किया गयाः

क्र.सं.	अधिकारी का नाम	पदनाम	कार्यरत समय अवधि	
			कब से	कब तक
1.	श्री सी.एस. नपल्च्याल	आयुक्त	25.02.2014	21.09.2016
2.	श्री विनोद शर्मा	आयुक्त	21.09.2016	वर्तमान तक

लघु एवं प्रक्रियात्मक अनियमितताएं जिनका समाधान लेखापरीक्षा स्थल पर नहीं हो सका उन्हें नमूना लेखापरीक्षा टिप्पणी में सम्मिलित कर एक प्रति कार्यालय आयुक्त, गढ़वाल मंडल, पौडी को इस आशय से प्रेषित कर दी जायेगी कि अनुपालन आख्या पत्र प्राप्ति के एक माह के अन्दर सीधे वरिष्ठ उपमहालेखाकार (सामान्य क्षेत्र) को प्रेषित कर दी जांय।

वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी
सामान्य क्षेत्र